

उत्तर प्रदेश शासन



बजट परिचय

NIEPA DC



D04683

1989-90

-542
352.1252
4TT-B

FOR REFER

बजट परिचय

1989-90

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य सरकार की अनुमानित भौमिका प्राप्तियाँ और व्यय का जो विवरण विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जाता है उसे संविधान में "वार्षिक वित्तीय विवरण" की संज्ञा दी गयी है। साधारणतया इस विवरण को ही आय-व्ययक अथवा बजट कहा जाता है। आय-व्ययक में सरकार की प्राप्तियाँ और संवितरण को उसी प्रकार दिखाया जाता है जिस प्रकार सरकारी लेखे रखे जाते हैं।

2-सरकारी लेखे नकद धनराशियाँ के संबंध में रखे जाते हैं और बारह महीने की अवधि के लिये होते हैं। यह अवधि। अप्रैल को आरम्भ होती है और अगले वर्ष की ३। मार्च को समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह है कि ये लेखे किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली वास्तविक नकद प्राप्तियाँ और किये गये संवितरणों की धनराशि को व्यक्त करते हैं न कि उसी अवधि में सरकार के पावने या दातव्य की धनराशियाँ को।

3-सरकारी लेखे तीन भागों में विभक्त किये गये हैं :-

भाग 1-समेकित निधि **इकन्सालिडेटेड फंड**

भाग 2-आकस्मिकता निधि **इकन्टन्यैन्सी फंड**

भाग 3-लोक खाता **पब्लिक एकाउन्ट**।

सरकारी लेखे
नकद धनराशिय
पर आधारित

सरकारी लेखे
का विभाजन

समेकित निधि [कन्सालिडेटेड फंड]- उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, समस्त ऋण तथा अर्थोपाय सम्बन्धी अग्रिम और शर्णों के प्रतिदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियाँ जमा होती हैं। इस निधि से केवल विधि के अनुसार और ऐप्ल उन प्रयोजनों के लिये तथा उस रीति से जो संविधान में वर्णित है, धनराशियाँ का विनियोग करने के अतिरिक्त अन्य प्रकार से विनियोग नहीं किया जा सकता।

आकस्मिकता निधि [इकन्टन्यैन्सी फंड]- किसी वर्ष के दौरान में अच्छी-कमी ऐसा हो सकता है कि आय-व्ययक बजट में व्यय के लिये व्यवस्थित धनराशि वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त रहे हो या व्यय किसी ऐसी नई मद के सम्बन्ध में करना हो जिसका आय-व्ययक में विचार न किया गया हो। ऐसी परिस्थितियाँ में विधान मण्डल से अनुपूरक अनुदानों की मांग करना आवश्यक हो जाता है। किन्तु तो विधान मण्डल का सत्र ही वर्ष भर चलता रहता है और न प्रत्येक

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sai Aribundo Marg, New Delhi-110016
D.O.C. No.....4/68/89
Date.....29/6/89

बार व्यय की आवश्यकता होने पर अनुपूरक मांग ही प्रस्तुत करना व्यवहार्य है । अतएव संविधान के अनुच्छेद 267 में ऐसी निधि स्थापित करने की व्यवस्था की गई है जो "राज्य की आकस्मिकता निधि" कहलाती है । यह निधि अग्रदाय रूप में होती है और उसमें विधि द्वारा निर्धारित धनराशीयां जमा की जाती हैं । उसमें से राज्यपाल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिये अग्रिम देते हैं । इस राज्य के विधान मण्डल द्वारा 1950 में पारित एक अधिनियम द्वारा 4 करोड़ रुपये की आकस्मिकता निधि स्थापित की गई थी । आवश्यकता के आधार पर इस निधि की सीमा समय-समय पर बढ़ाई गई और इस समय विधान मण्डल की स्वीकृति से इसकी राशि 200 करोड़ रुपये है । इस निधि से समय-समय पर जो धनराशीयां राज्यपाल के प्राधिकार से निकाली जाती हैं उनकी प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांगों अथवा मुख्य बजट द्वारा विधान मण्डल से व्यय की स्वीकृति प्राप्त करके यथावधीय कर दी जाती है । अनुपूरक मांग या तो उस धनराशि के लिये ही सकती है जो उस पूरे अनुमानित व्यय के बराबर हो जिसके लिये उक्त निधि से अग्रिम दिया गया हो या संबंधित अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत कुछ बचतों के उपलब्ध होने के कारण कभी गई धनराशि के लिये ही सकती है या अग्रिम की स्वीकृति देते समय व्यय के उस अनुमान के कारण ही सकती है जो बाद में आवश्यकता से अधिक पाया गया हो या केवल ऐसी प्रतीक धनराशि के लिये ही सकती है जिसमें अन्तर्गत व्यय की सम्पूर्ण धनराशि संबंधित अनुदान या भारित विनियोग में होने वाली बचतों से पूरी की जा सकती हो ।

लोक खाता **प्रबंधक एकाउन्ट**—प्रशासन के दौरान में सरकार द्वारा या उसकी ओर से ऐसी धनराशीयां भी प्राप्त की जाती हैं जिनका संबंध समेकित निधि से नहीं होता है । उदाहरणार्थ किसी ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति **सिक्योरिटी** के रूप में या किसी वादी द्वारा न्यायालय में या किसी स्थानीय निकाय द्वारा सरकारी अभिकरण के माध्यम से किसी प्रायोजना को निष्पन्न करने के लिये जमा की गई धनराशीयां तथा विभिन्न भविष्य निधियाँ **फ्रांडेन्ट फंड्स** और रक्षित निधियाँ **रिजर्व फंड्स** आदि में जमा की जाने वाली धनराशीयां । ऐसी धनराशीयां राज्य के लोक खाता के अन्तर्गत जमा की जाती हैं । लोक खाता से संवितरण की दशा में विधान मण्डल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये धनराशीयां समेकित निधि से नहीं दी जाती हैं । कुछ मामलों में विधान मण्डल का अनुमोदन

प्राप्त करके सरकार के राजस्व का एक अंग समेकित निधि से आहरित करके विशिष्ट प्रयोजनों जैसे गन्ना अनुसन्धान, सड़कों के रख-रखाव और औद्योगिक विकास आदि पर व्यय करने के लिये लोक लेखे के अन्तर्गत पृष्ठक निधियों में जमा कर दिया जाता है। तथापि विशिष्ट प्रयोजनों सम्बन्धी वास्तविक व्यय को विधान मण्डल का पुनः अनुमोदन प्राप्त करके समेकित निधि से ही किया जाता है और पुस्तक समायोजन द्वारा व्यय को सम्बन्धित निधि के नाम डाल दिया जाता है।

४-समेकित निधि के दो मुख्य भाग है :- ॥१॥ राजस्व लेखा श्रृंखलेन्द्रु सकाउन्ट और ॥२॥ पूँजी लेखा श्रृंखलेन्द्रु सकाउन्ट जिसमें पूँजीगत व्यय, लोक शृण श्रृंखलिक डेट तथा उधार और अग्रिम सम्मिलित हैं।

॥३॥ राजस्व लेखा - यह मुख्यतया विभिन्न करों व शुल्कों, सेवाओं के लिये फीस, जुर्मानों और जब्तियों आदि से प्राप्त सरकार की वर्तमान आय और इस आय से पूरे किये जाने वाले व्यय का लेखा होता है। किसी वित्तीय वर्ष की ऐसी आय और व्यय के अन्तर को उस दफा में बचत या घाटा कहते हैं जबकि उस वर्ष के लिये अनुमानित आय अनुमानित व्यय से क्रमशः अधिक या कम होती है।

पूँजी लेखा-इसके अन्तर्गत पूँजीगत व्यय, लोक शृण तथा उधार और अग्रिम से सम्बन्धित व्यय और उससे सम्बन्धित प्रापितियों और वसूलियों का लेखा रहता है।

पूँजीगत व्यय - योटे तौर पर पूँजीगत व्यय वह व्यय है जो शौकिक और स्थायी प्रकार की ठोस परिसम्पत्तियों श्रृंखले-अभियंत्रण प्रायोजनाओं भवनों आदि की वृद्धि या उनके निर्माण के उद्देश्य से किया जाता है। तथापि यह परमावश्यक नहीं है कि ठोस परिसम्पत्तियों सदैव उत्पादक ही हों या उनसे राजस्व की प्राप्ति होती ही हो। पूँजी लेखे में से किसी प्रायोजन के प्रथम निर्माण के सारे व्यय तथा उसके चालू किये जाने तक की अवधि के अनुरक्षण व्यय और निर्माण कार्यों के आवश्यक विस्तार तथा सुधारों के सम्बन्ध में अन्य व्यय भी किये जाते हैं। किन्तु इसके बाद रख-रखाव और मरम्मत सम्बन्धी व्यय तथा कार्य सम्पादन व्यय राजस्व लेखे से किये जाते हैं।

लोकशृण- इस शीर्षक के अन्तर्गत सरकार द्वारा लिये गये शृण तथा उनके प्रतिदान के लिये की गई व्यवस्था होती है। कठिपय शृण पूर्णतः

समेकित निधि के भाग

अस्थायी प्रकार के होते हैं जिन्हे "अल्पकालिक शृण" कहा जाता है जैसे अर्थामाय सम्बन्धी अग्रिम । अन्य प्रकार के शृणों को "स्थायी शृण" कहा जाता है ।

उधार और अग्रिम-सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं या व्यक्तियों को जो शृण और अग्रिम दिये जाते हैं उनके संवितरण तथा उनके समक्ष होने वाली वसुलियों को इस शीर्षक के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाता है ।

अनुभाग तथा
लेखा शीर्षक

5-अनुभाग तथा लेखा शीर्षक समय-समय पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियरित किये जाते हैं । नियरित किये गये मुख्य तथा लघु शीर्षकों में उक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

मुख्य शीर्षकों का विभाजन उप मुख्य शीर्षकों, लघु शीर्षकों, उप शीर्षकों विस्तृत शीर्षकों तथा प्राथमिक इकाईयों द्वारा व्यय की मानक मदों में किया जाता है । किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मुख्य शीर्षक के अधीन उप मुख्य शीर्षक तथा प्रत्येक उप शीर्षक के अधीन विस्तृत शीर्षक हों । व्यय की एक ऐसी मद जिसके अन्तर्गत मुख्य शीर्षक से मानक मद तक सभी शीर्षकों का उल्लेख है, का उदाहरण निम्नवत् है :-

प्रभाग	: राजस्य लेखा-
अनुभाग	: छ-सामाजिक सेवायें- द्वृग् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-
मुख्य शीर्षक	: 2210-विकित्सा और लोक स्वास्थ्य-
उप मुख्य शीर्षक	: 02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य विकित्सा पद्धतियाँ-
लघु शीर्षक	: 101-आयुर्वेद-
उप शीर्षक	: 03-अस्पताल तथा रुजालय-
विस्तृत शीर्षक	: 0301-राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध आयुर्वेदिक विकित्सालय
प्राथमिक इकाई मानक मद	: 01-पैतन, 03-महंगाई भत्ता, 04-यात्रा व्यय, 05-अन्य भत्ता, 06-कार्यालय व्यय, आदि
इसी प्रकार प्राप्तियों की एक मद का उदाहरण निम्नवत् है :-	
प्रभाग	: राजस्य लेखा-
अनुभाग	: छ-कर-भिन्न राजस्व-द्वृग्-अन्य कर-भिन्न राजस्व-इसामान्य सेवायें-

मुख्य शीर्षक	: 0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-
उप मुख्य शीर्षक	: 02-निर्वाचन-
लघु शीर्षक	: 101-निर्वाचन कार्य विवरणों की बिक्री-
उप शीर्षक	: 01-विधान सभा और संसद निर्वाचन क्षेत्र की प्राप्तियाँ-
विस्तृत शीर्षक	: 0101-निर्वाचन नामावलियों की बिक्री से प्राप्तियाँ

6-संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान मंडल के सदनों के समक्ष राज्यपाल, राज्य की उस वर्ष के लिये अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का विवरण रखवायेंगे जिसे "वार्षिक वित्त विवरण" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है और जिसे आम-तौर पर "आय-व्ययक" समझा जाता है और उस वित्त विवरण में दिये हुए व्यय के अनुमानों में उन धनराशियों को पृथक-पृथक दिखाया जायगा जो राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय तथा उस निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित हों और उनमें राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा ।

भारित व्यय -भारित व्यय में जिसे आय-व्ययक में सामान्यतया तिरछे अंक में दिखाया जाता है, निम्नलिखित प्रकार के व्यय सम्मिलित होते हैं :-

- ॥१॥ राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उसके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय,
- ॥२॥ विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति तथा उप-सभापति के वेतन और भत्ते,
- ॥३॥ ऐसे शृण-भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अन्तर्गत व्याज, शृण शोधन निधि भार और मोदन भार, उधार लेने और शृण व्यवस्था तथा शृण मोदन सम्बन्धी अन्य व्यय सम्मिलित हैं,
- ॥४॥ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों तथा पेशान से सम्बन्धित व्यय और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिसमें उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों के समस्त वेतन, भत्ते और पेशान सम्मिलित हैं,

"वार्षिक वित्त-विवरण"/आय-व्ययक

१५। किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय आज्ञाप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई धनराश्रिया,

१६। संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन न्यायालयों या आयोगों के व्यय तथा पेशार्नों के व्यय के विषय में समायोजन,

१७। राज्य के लोक सेवा आयोग के व्यय जिनमें आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों को अथवा उनके विषय में देय वेतन, भत्तों तथा पेशान के व्यय सम्मिलित हैं, और

१८। संविधान या राज्य के विधान मंडल से विधि द्वारा समेकित निधि पर भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।

१९। देखिए संविधान के अनुच्छेद 202॥३॥, 229॥३॥ तथा 322॥।

आय-व्ययक के 7-आय-व्ययक के लेखों में सामान्यतया चार प्रकार के आंकड़े दिये लेखों में सम्मिलित होते हैं :-

१। आय-व्ययक वर्ष के आय-व्ययक अनुमान।

२। आय-व्ययक वर्ष से पूर्व वर्ष के आय-व्ययक अनुमान, जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष मूलसूप में प्रस्तुत किये गये थे।

३। आय-व्ययक वर्ष से पूर्व वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान।

४। आय-व्ययक वर्ष से पूर्व वर्ष के पूर्व वर्ष का लेखा वास्तविक आंकड़े।

आय-व्ययक वर्ष के पूर्व के वर्षों के आंकड़े केवल तुलना करने के उद्देश्य से दिये जाते हैं।

उपरोक्त सभी अनुमानों को अब दृजार रूपये के गुणांकों में दिखाया जाता है।

आय-व्ययक पर वित्त सचिव के स्मृति-पत्र में संक्षेप में आंकड़ों को तथा उनकी न्यूनाधिकताओं को समझाया जाता है। १०पैरा ।३ देखिए।

८-व्यय के अनुमानों में सम्मिलित धनराश्रियाँ इस प्रकार हैं :-

१। जिन्हें "स्थायी स्वीकृतियाँ" के अन्तर्गत वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिये अपेक्षित धनराश्रियाँ कहा जा सकता है और २। आय-व्ययक वर्ष में प्रस्तावित नये व्यय को पूरा करने के लिये अपेक्षित धनराश्रियाँ। ऐसी २ के अन्तर्गत आने वाली मर्दों के लिये व्यय करने से पूर्व विधान मंडल की विशिष्ट स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, सिवाय उस दशा में जबकि आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर व्यय करने का प्राधिकार दिया गया हो।

अनुदान की प्रत्येक मांग में सबसे पहले प्रस्तावित कुल अनुदान का एक विवरण रहता है और उसके बाद अनुदान के अन्तर्गत व्योरेवार अनुमानों का विवरण रहता है ।

9-भारित व्यय विषयक अनुमानों पर विधान मंडल का मतदान अपेक्षित नहीं है । फिर भी ऐसे व्यय के अनुमानों पर दोनों सदनों में विचार-विमर्श किया जा सकता है । किन्तु संविधान के अनुच्छेद 211 के उस निर्बन्धन का पालन किया जाना चाहिये जिसमें यह दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य पालन से संबंधित आचरण के विषय में कोई चर्चा न की जायगी । जहाँ तक अन्य व्यय का सम्बन्ध है, उसके अनुदान, अनुदानों की मांगों के रूप में विधान सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं । विधान सभा को कोई मांग स्वीकार करने या स्वीकार में करने अथवा उसमें उल्लिखित धनराशि में कटौती करने के बाद उसे स्वीकार करने का अधिकार है । यह अनुदान विधान परिषद् के समक्ष भी रखे जाते हैं जो उस पर चर्चा कर सकती है किन्तु उस पर उनको मतदान नहीं करना होता है ।

10-आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा हो जाने और विधान सभा द्वारा अनुदानों की विभिन्न मांगों को स्वीकार कर लिये जाने के बाद राज्य की समेकित निधि में ऐसी सभी धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था के लिये एक विधेयक लाया जाता है जो विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान और समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिये आवश्यक हो किन्तु किसी भी दशा में उन धनराशियों से अधिक न हो जो पहले दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत विवरण पत्र में दिखाई गई हों । विनियोग विधेयक से संलग्न अनुसूची में वह धनराशि भी दी जाती है जो शृण और अशिर्मों के संवितरण के लिये अपेक्षित हो । किसी ऐसे विधेयक पर कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जिससे किसी अनुदान की धनराशि न्यूनाधिक हो जाय या किसी अनुदान का उद्देश्य बदल जाय या राज्य की समेकित निधि पर भारित किसी व्यय की धनराशि घट-बढ़ जाय । विधान परिषद् विधेयक के संबंध में अपनी सिफारिशों कर सकती है किन्तु यह विधान सभा की इच्छा पर है कि वह इन्हें स्वीकार करे या न करे । विधान परिषद् द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने और उसे अपनी सिफारिशों के साथ, यदि कोई हों, विधान सभा को वापस कर दिये जाने के बाद विधेयक राज्यपाल के पास उनकी स्वीकृति के लिये भेजा जाता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर उसमें दी गई

अनुदानों की मांगों पर मतदान

विनियोग विधेयक

धनराशीयां सम्बन्धित वर्ष में सरकार द्वारा व्यय किये जाने के लिये उपलब्ध हो जाती हैं ।

पुनर्विनियोग

11- अनुदान की किसी विशेष मांग के सम्बन्ध में विधान मंडल द्वारा स्वीकृत धनराशी या भारित व्यय के लिये आय-व्ययक में सम्मिलित धनराशी एक-मुश्त धनराशी के रूप में होती है, यद्यपि यह अनुमानों में दिये गये ब्योरों पर आधारित होते हैं । अनुमान अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित होते हैं । यह ही सकता है कि कुछ कारणवश कठिपप्य शीर्षकों के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशीयां वर्ष के दौरान में वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक पार्ड जाय और अन्य शीर्षकों के अधीन व्यवस्थित धनराशीयां वास्तविक आवश्यकताओं से कम पढ़ जाय । विधान मंडल द्वारा स्वीकृत अनुदान की किसी मांग या भारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत कुल धनराशी में फिर वृद्धि नहीं की जा सकती, परन्तु सरकार धनराशीयों के आवश्यक संक्रमण की स्वीकृति देकर इसे "पुनर्विनियोग" कहा जाता है । अपेक्षित पुनः समायोजन कर सकती है । ऐसा करने के लिये कठिपप्य नियमों और शर्तों का अनुपालन अनिवार्य है । विधान मंडल द्वारा स्वीकृत आय-व्ययक में सम्मिलित न की गई नयी मर्दों, प्रस्तावों या योजनाओं पर व्यय बचतों से नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा करने के लिये प्रतीक अनुपूरक मांग द्वारा विधान मंडल की स्वीकृति न ले ली जाय और न मतदेय तथा भारित व्यय में धनराशीयों का कोई संक्रमण किया जा सकता है । राजस्व लेखे से पूँजी लेखे को तथा पूँजी लेखे से राजस्व लेखे को भी पुनर्विनियोग द्वारा संक्रमण वर्जित है ।

नियंत्रण

12- लोक निधियों के व्यय करने में विधान मंडल की इच्छाओं की जैसी कि वे विनियोग अधिनियमों द्वारा व्यक्त की जाती हैं, सरकार किस सीमा तक पूर्ति करती है, यह भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक देखते हैं । यह अधिकारी संविधान के अधीन कार्यपालिका तथा विधान मंडल के नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं आते और केवल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं । विधान मंडल के प्रति अपना यह कर्त्तव्य पूरा करने के साथ-साथ वे सरकार की ओर से भी यह देखते हैं कि कहीं अधीनस्थ अधिकारी प्राधिकृत व्यय से अधिक व्यय तो नहीं कर रहे हैं । वे समय-समय पर सरकार का ध्यान अनियमितताओं की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये आकर्षित करते रहते हैं । इन कार्यों को वह अपने अधिकारी, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित करते हैं । महालेखाकार सरकारी लेन-देन के लेखे संकलित करते हैं और

अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा आवश्यक लेखा परीक्षा कराते हैं। उनके निर्देशांक के अनुसार कार्य करने वाले अधिकारी समस्त सरकारी कोषागारों में बैठते हैं और सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का लेखा तैयार करते हैं। यह लेखे उनके द्वारा महालेखाकार को प्रति मास अथवा ऐसे समय पर जिन्हें वह निर्विचल करें, प्रस्तुत किये जाते हैं। महालेखाकार प्राप्तियों और व्यय की प्रगति तथा उनकी किसी असाधारण वृद्धि या कमी की सूचना सरकार की वर्षा में समय-समय पर देते रहते हैं। वर्षा का लेखा बन्द हो जाने के बाद वह विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे का संकलन करते हैं। इनको वह अपनी टिप्पणी तथा प्रतिवेदन के साथ नियंत्रक महालेखा-परीक्षक भारत सरकार को प्रस्तुत करते हैं। नियंत्रक महालेखा-परीक्षक उक्त लेखे और प्रतिवेदन अपने प्रमाण-पत्र तथा टिप्पणियों सहित द्विदि कोई हौंड विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये राज्यपाल को भेज देते हैं। विधान मंडल की ओर से उनकी जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है और वह अपना प्रतिवेदन तथा सिफारिशें विधान मंडल को प्रस्तुत करती है इसके बाद सम्बन्धित विभागों से इन टिप्पणियों और सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही करने तथा उचित समय के अन्दर उनके अनुपालन की सूचना देने के लिये कहा जाता है। यदि विनियोग लेखे से यह यथा चले कि किसी वर्ष में विद्या द्वारा प्राधिकृत धनराशि से अधिक व्यय हो गया है तो ऐसे व्यय को विनियमित करने के लिये विधान मंडल के सामने संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार "अतिरिक्त अनुदान की मांग" प्रस्तुत की जाती है।

13- विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत आय-व्ययक बजट साहित्य के छः खण्ड है, अर्थात् :-

खण्ड 1- 1989-90 के बजट अनुमानों पर मुख्य मंत्री का बजट भाषण ।

खण्ड 2- आय-व्ययक पर वित्त संघिव का स्मृति-पत्र जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :-

इकूँ 1987-88 के वास्तविक आंकड़ों, 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमानों और 1989-90 के आय-व्ययक अनुमानों की संक्षिप्त समीक्षा,

द्विंद्वा 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमानों की उसी वर्ष के मूल अनुमानों से तुलना, और

तृतीय आय-व्ययक वर्ष 1989-90 की अनुमानित प्राप्तियों की समीक्षा

और व्यय के अनुमानों की न्यूनाधिकताओं के संबंध में सविस्तार स्पष्टीकरण। इसके पहले वित्त-विवरण दिये गये हैं, जिनमें समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक खाता के सम्बन्ध में प्राप्तियाँ और संवितरणों का संक्षिप्त विवरण दिया है और साथ ही आयोजनागत तथा आयोजनेतर मर्दाँ के परिव्यय का भेद दिखाया गया है। अन्त में वे विवरण-पत्र संलग्न किये गये हैं जिनमें राज्य की कुल शृण ग्रस्ताता, सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न उधार और अग्रिमों के अंदर शेष, विभिन्न रक्षित निधियों एवं जिनमें अवमूल्यन रक्षित निधियाँ भी सम्मिलित हैं के नियत शेष, विभिन्न शृण शोधन निधियों की शेष धनराशियाँ, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, ब्याज सम्बन्धी भुगतानों का विश्लेषण, ब्याज सम्बन्धी प्राप्तियाँ का विश्लेषण, विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सहायक अनुदानों के रूप में स्वीकृत की गई धनराशियाँ के विवरण तथा सरकारी वाणिज्यिक संस्था सिंचाई के वित्तीय विवरण आदि दिये गये हैं।

छठ शुभ राज्य सरकार द्वारा दी गई उन प्रत्याभूतियों का विवरण जिनका अनिश्चित दायित्व समेकित निधि पर पड़ता है।

खण्ड 3- इस खंड में नई मर्दाँ, नई योजनाओं अथवा मये निर्माण-कार्यों पर किये जाने वाले प्रस्तावित व्यय को स्पष्ट करने के लिये संक्षिप्त टिप्पणियाँ दी गई हैं।

खण्ड 4- इसमें राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ, लोक शृण से प्राप्तियाँ तथा उधार और अग्रिमों की वसूलियों के व्योरे-वार अनुमान दिये गये हैं।

खण्ड 5-इसमें राजस्व व्यय तथा पूँजी लेखे के व्यय/संवितरण के व्योरे-वार अनुमान दिये मये हैं। सुविधा के लिये इसे ग्यारह भागों में सुनित किया गया है।

खण्ड 6- इस खंड में राज्य के राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों की संख्या एवं वेतन-क्रमों की अनुसूची **Sub: गई National Systems Unit**

National Institute of Educational

NIEPA DC

Planning and Administration



7-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110011

D04683

DOC. No.: D-4683

Date 29/6/89

पी0एस0यूपी0-ए0पी0 194 ता0वित्त-19-1-89-3072

1989-90-3,000 रुआफसेट